न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 66/2016

सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर .....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री बाबूलाल वल्द सूरजमल
2. भँवरू वल्द दयाल जाति रेगर निवासी–अमरपुरा तहसील–ब्यावर।

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, राजकीय अभिभाषक
2. श्री तुलवीर सिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: आदेश :–

दिनांक– 12.04.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अमरपुरा तहसील ब्यावर की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के अनुसार खसरा नं0 427/155 रकबा 10–00–00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। जबकि मिसल बंदोबस्त संवत् 1350 फसली अनुसार उक्त खसरा नंबर का साबिक खसरा नं0 123 सिवाय चक खाते में दर्ज है। 1350 फसली के बाद भू–संशोधन होने पर वर्किंग जमाबन्दी सवंत् 2041 व उसके बाद के राजस्व रेकार्ड में लगातार संवत् 2073 तक उक्त हाल खसरा नं0 427/155 अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के किस आधार पर दर्ज की गई इसका कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार ब्यावर द्वारा विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा जवाब नोटिस पेश किया, तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम अमरपुरा तहसील ब्यावर की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के अनुसार हाल खसरा नं0 427/155 रकबा 10–00–00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। जबकि मिसल बंदोबस्त संवत् 1350 फसली अनुसार उक्त खसरा नंबर का साबिक खसरा नं0 123 सिवाय चक खाते में दर्ज है। 1350 फसली के बाद भू–संशोधन होने पर वर्किंग जमाबन्दी सवंत् 2041 व उसके बाद के राजस्व रेकार्ड में लगातार संवत् 2073 तक उक्त हाल खसरा नं0 427/155 अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के नाम किस आधार पर दर्ज की गई इसका कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। खसरा गिरदावरी संवत् 2042 से 2062 तक प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की गई है। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि में से लगभग 02–00–00 बीघा भूमि पर चतरा वल्द केशा कौम रावत निवासी अमरपुरा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

का मकान व श्री जैतसिंह वल्द बीरधा की फसल काश्त है तथा लगभग 01 बीघा भूमि पर डामर की पक्की सडक के साथ–साथ कंटीली झाडियॉ उगी हुई है एवं करीब 07 बीघा भूमि मौके पर पडत है। प्रकरण में ग्रामवासी अमरपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि में सार्वजनिक रास्ता होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने बाबत निवेदन किया गया है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण/गैर खातेदार द्वारा संवत् 2042 से लगातार 20–21 वर्षो तक काश्त नहीं की गई है जो प्रार्थी की ओर से राष्ट्रीय शोषित परिषद के अध्यक्ष श्री बीरमराम भट्ट द्वारा दिनांक 8.8.2016 व 23.8.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से भी स्पष्ट है। अतः आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आंवटन निरस्त किया जाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की जावें।

पैरोकार सरकार की बहस के जवाब में अभिभाषक अप्रार्थीगण ने मुख्यतः निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अप्रार्थीगण के पिता सूरजमल को नियमानुसार पूर्ण विधिक प्रकिया पश्चात विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 8.11.1975 को किया जाकर मौके पर भूमि का कब्जा संभलाया गया था। आवंटन पश्चात आवंटित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। राजस्व अधिकारियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत कमजोर वर्ग के अप्रार्थीगण को उनकी कब्जा काश्त कृषि भूमि से बेदखल करने करने की नियत से इसे पडत दर्ज की गई है। प्रश्नगत भूमि बारानी होने एवं सिंचाई का साधन नहीं होने व अकाल की वजह से कुछ एक वर्षो में काश्त संभव नहीं होने से काश्त दर्ज नहीं की गई। अप्रार्थीगण से प्रश्नगत भूमि को जबरन छीनने के संबध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमें विचाराधीन है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल बंदोबस्त संवत् 1350 फसली अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 427/155 का साबिक खसरा नं0 123 सिवाय चक खाते में दर्ज है। भू–संशोधन होने के पश्चात वर्किंग जमाबन्दी सवंत् 2041 में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण/गैर खातेदार द्वारा संवत् 2042 से 2062 तक लगातार 20–21 वर्षो तक काश्त नहीं की गई है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबन्दी में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के किस आधार पर दर्ज की गई इसका कोई रेकार्ड, कमेटी बैठक विवरण/आवंटन आदेश आदि दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा अपने साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप विवादित भूमि बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर भूमि का कब्जा तत्काल राजहित में प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर